फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक - 26.11.2025

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को चोरी किये गये 04 टेयर लैस यूनिट व 08 बसबार तथा 27 बोल्ट सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 352/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को चोरी किये गये 04 टेयर लैस यूनिट व 08 बसबार तथा 27 बोल्ट सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01. विशाल पुत्र सोनपाल निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण - वादी विपुल दुबे पुत्र स्व0 श्री दयानन्द दुबे ग्राम विजाधरपुर पोस्ट सेन्ट्रल जेल कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ द्वारा ट्रासफार्मर पर लगे LT प्रोटेक्शन बाक्स से टेयरलेस यूनिट बसबार अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिनांक 25.11.2025 को सूचना दी । वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 352/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त उपरोक्त को चोरी किये गये सामान सहित गिरफ्तार कर गिरफ्तरी/बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त विशाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने पैसों के लालच में चोरी करना बताया हुए अपने जुर्म की मांगी माँगते हुए अपनी सफाई मा0 न्यायालय में देना बताया ।

बरामदगी का विवरण –

01. 01 टेयर लैस यूनिट
02. 08 बस वार
03. 27 बोल्ट

अभियुक्त विशाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 352/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विशेष कुमार
2. आरक्षी अजीत सोलंकी

मीडिया सेल फतेहगढ ।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमसाबाद

दि0-25.11.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. वेदपाल पुत्र बाबूराम 2. उमेश सिंह पुत्र नरसिंह 3. मनोज पुत्र नरसिंह 4. मुकेश पुत्र नरसिंह समस्त निवासीगण गुलेटी दक्षिण बेहता थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर मु0अ0सं0 326/2018 वाद संख्या 09/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट द्वारा दिनांक 25.11.2025 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

एडीजीसी- श्री राजीव कुमार सिंह

को0मो0 हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार हे0का0 प्रमोद कुमार

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 | 181 | 1076 | 112 | 1098 | 102 | 108

थाना कमालगंज

#MissionShakti

1090
Women Power Line

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना अमृतपुर

#Fatehgarhpolice

1090

Women Power Line

मिशन शक्ति 5.0

थाना मेरापुर

मिशन शक्ति 5.0

थाना शमसाबाद